

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

संजीव

बनाम

जगदीश आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act घोषणात्मक

मुकदमा नम्बर :- 153/2020

निर्णय दिनांक :- 02/10/2021

वादी की ओर से वकील श्री पवन सिहाग एड. की व प्रतिवादी सं0.1 व 2 की ओर से वकील श्री रोहिताश शर्मा एड. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 1SDR के वर्तमान खाता सं0. 89/79 के सु. नं. 39 के किला नं. 1 ता 3, 6 ता 15, 17 ता 20, 22 ता 24 की कुल 5.060 है नदरी मय खाता खाता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम 1/9 हिस्सा, चक 18 AMS के खाता सं0. 19/20 के सु. नं. 18 के किला नं. 21, सु. नं. 19 के किला नं. 21 ता 25, सु. नं. 20 के किला नं. 17, 18, 23 ता 25, सु. नं. 21 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, सु. नं. 22 के किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 की कुल 11.8910 है नदरी मय खाता प्रतिवादी सं0.1 जगदीश के नाम 1/9 हिस्सा, चक 14 AMS के 40/43 के सु. नं. 39 के किला नं. 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25, सु. नं. 44 के किला नं. 3 ता 5 की कुल 2.7830 है नदरी मय खाता प्रतिवादी सं0.1 जगदीश के नाम 1/9 हिस्सा कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहकारी सम्पत्ति होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। नियमानुसार पंजीयन शुल्क देय हो। डिक्री की पालना रहन मुक्त होने पर की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा, जिला हनुमानगढ़